परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पंजीकृत)

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय)

ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY (Regd.)

(An Autonomous Body Under Department of Atomic Energy, Govt. of India)

केंन्द्रीय कार्यालय, वेस्टर्न सेक्टर, प.ऊ.के.वि.-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094

CENTRAL OFFICE, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai-400094

AEES/AU/F.36/2024-25/717 नवंबर / November 25, 2024

परिपत्र / CIRCULAR

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग और इसकी घटक इकाइयों के कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। शिक्षा छात्रों में गंभीर रूप से सोचने और विभिन्न दृष्टिकोणों की कल्पना करने की क्षमता विकसित करके एक सभ्य समाज को आकार देती है।

The Atomic Energy Education Society was setup to provide quality education to the children of the employees of the Department of Atomic Energy and its constituent units. Education shapes what a civilized society is by developing the ability of students to think critically and imagine different perspectives.

एक छात्र के समग्र आचरण से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों और अपेक्षाओं के अनुरूप हो, जिनमें से कुछ में शामिल होंगे :

A student's overall conduct is expected to be in line with a set of rules and expectations, a few of which will include:

- **शैक्षणिक अखंडता** - जिसमें छात्रों से शैक्षणिक अखंडता बनाए रखने, दूसरों के अधिकारों और संपत्ति का सम्मान करने और अपने स्वयं के सामान के लिए जिम्मेदार होने की अपेक्षा की जाती है।
  Academic integrity – wherein students are expected to uphold academic integrity, respect the rights and property of others, and be responsible for their own belongings.
- **सम्मान** - जिसमें छात्रों को अपने विद्यालय , परिवार और राष्ट्र के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। उन्हें दूसरों के अधिकारों और संपत्ति का भी सम्मान करना चाहिए।
  Respect – wherein students should respect their school, family, and the honor of the nation. They should also respect the rights and property of others.
- **व्यवहार** - जिसमें छात्रों से विद्यालय या सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है।
  Behaviour – wherein students are expected to behave in an orderly manner which in school or in public places.

कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिनसे सभी प.ऊ.कें.वि./क.म.वि. के छात्रों को परहेज करने की सलाह दी जाती है, नीचे दी गई हैं।

... 2/-

Some of the few activities which the students of all AECS/JCs are advised to refrain from are brought out below.

1. बिना हेलमेट/बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तथा तेज गति से मोटरसाइकिल चलाना।
   Riding motorcyles without using helmets/without driving licence and also with high speed.
2. छेड़खानी/पीछा करना / Eve teasing / stalking
3. विद्यालय/महाविद्यालय बंक करना और कॉलोनी के आसपास घूमना /
   Bunking school/college and loitering around the colony
4. विद्यालय /अन्य छात्रों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना
   Misusing social media to malign the image of school/other students
5. गाली-गलौज आदि भाषा का प्रयोग करना / Using abusive language
6. धूम्रपान/तंबाकू चबाना/मादक द्रव्यों का सेवन/ शराब का सेवन /
   Smoking/chewing tobacco/drug abuse/alcohol consumption
7. विद्यालय और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि /
   Damage of school and public property etc.

इसलिए, प.ऊ.कें.वि./क.म.वि. के सभी प्रमुख से आठवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के साथ वास्तविक बातचीत करने का अनुरोध किया जाता है, जो किशोर हैं और बचपन और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि में हैं। किशोरों को शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास सहित कई बदलावों का अनुभव होता है।

Hence, Heads of all AECS/JC are requested to have a genuine talk with the students of Classes VIII to XII, who are adolescents and are in a transitional period between childhood and adulthood. Adolescents experience many changes, including physical, intellectual, social, emotional and moral development.

इसलिए उन्हें इसके महत्व के बारे में जानकारी देने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है–
It is therefore highly recommended to brief them about the importance of –

- सम्मान और शिष्टाचार अर्थात राय, पृष्ठभूमि या विश्वास में अंतर की परवाह किए बिना दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें / respect and courtesy i.e. treat others with respect, regardless of differences in opinions, backgrounds, or beliefs.
- आत्म-नियंत्रण और भावनात्मक योग्यता / self-control and emotional competency
- खुले विचारों और सहनशीलता / open-mindedness and tolerance
- सहानुभूति और करुणा / empathy and compassion
- सत्यनिष्ठा और ईमानदारी / integrity and honesty
- दूसरों के लिए विचार / consideration for others
- व्यक्तिगत संपत्ति और सुरक्षा, पानी और बिजली संबंधी सुरक्षा और पर्यावरण की देखभाल पर ध्यान दें/ pay attention to personal property and safety, water and electirical safety and care for the environment
- विनम्र भाषा का प्रयोग करें और अवैध वेब पेजों का प्रसार या ब्राउज़ न करें /
  use polite language and donot spread or browse illegal web pages and
- अच्छी नागरिकता यानि सभ्य और गरिमामय व्यवहार करें /
  good citizenship i.e. behave in a civilized and dignified manner.

आप एक मनोवैज्ञानिक/सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाएं ले सकते हैं जो किशोरों को बहुमूल्य जानकारी और संसाधन प्रदान कर सकते हैं (अधिमानतः सुबह की सभा के समय)।

You may engage the services of a Pscychologist/Social Worker who can provide valuable information and resources to adolescents (preferably during the morning assembly time).

इसे प.ऊ.शि.सं. के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से प्रेषित किया जाता है।
This issues with the approval of competent authority in AEES.

नीना बोपैया 25/11/24

(एन. नीना बोपैया / N. Neena Bopaiah)
प्रधानाचार्या और प्रमुख, शैक्षणिक इकाई, प.ऊ.शि.सं. /
Principal & Head, Academic Unit, AEES

प.ऊ.कें.वि./क.म.वि. के सभी प्रमुख / Heads of all AECS/JC

प्रतिलिपि प्रेषित / C.C.
1. अध्यक्ष, प.ऊ.शि.सं. का कार्यालय / Office of Chairman, AEES
2. सचिव, प.ऊ.शि.सं. का कार्यालय / Office of Secretary, AEES
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं. / Chief Administrative Officer, AEES
4. प्रशासनिक अधिकारी-III, प.ऊ.शि.सं. / Administrative Officer-III, AEES